विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में हैं। **भाग-क** में राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं, जिनमें 'वाहनों पर कर अधिरोपण और संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 'माल और सेवा कर में अंतरण की तैयारी', बिक्री कारोबार के छिपाव, शमन और गलत वर्गीकरण के कारण कर, राजस्व की अल्प उगाही और हानि, इनपुट कर क्रेडिट की गलत अनुमति, स्टांप शुल्क/ पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण और दरों के गलत अनुप्रयोग पर आठ पैराग्राफ शामिल हैं जिसका निहितार्थ ₹186.62 करोड़ है। कुछ प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

राजस्व क्षेत्र

सामान्य

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य की समग्र प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 15.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा सर्जित राजस्व (₹13,898.74 करोड़) पूर्ववर्ती वर्ष में 28 प्रतिशत की अपेक्षा कुल राजस्व प्राप्तियों का 29 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के दौरान शेष 71 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से हुई थी, जिसमें से 65.59 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में आया था। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान प्राप्तियों में राज्य की कुल प्राप्तियों का 46.79 प्रतिशत हिस्सा है।

(पैराग्राफ: 1.1)

वर्ष 2017-18 के दौरान वाणिज्यिक कर (बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर), राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन और कानून विभागों की 402 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 94 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से अवनिर्धारण/ कर की चोरी/ इनपुट कर क्रेडिट की गलत अनुमति इत्यादि के 33,237 मामलों में कुल मिलाकर ₹377.77 करोड़ दर्शाया गया। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने 97 मामलों में शामिल ₹2.22 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य कमियों को स्वीकार किया, जो वर्ष 2017-18 और उससे पहले के वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में बताई गई थी। विभागों ने पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 19 मामलों में ₹53.38 लाख एकत्र/ वसूल किए।

(पैराग्राफ: 1.10)

निष्पादन लेखापरीक्षा

'वाहनों पर कर का अधिरोपण और संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित दर्शाया गया:

- वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में, राजस्व संग्रहण में कमी 11 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य, हालांकि 135 प्रतिशत के स्तर तक प्राप्त किए गए थे जो पिछले दो वर्षों के लक्ष्यों की तुलना में काफी कम थे।

(पैराग्राफ: 2.3.6)

- आठ (11 में से) चयनित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ/ एआरटीओ) में पंजीकृत 21,918 निजी वाहनों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्रों का निर्धारित समय सीमा के बाद भी नवीकरण नहीं करने के कारण ₹6.12 करोड़ के पंजीकरण शुल्क/ कर की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.8)

- 91 पंजीकृत डीलरों द्वारा अस्थायी पंजीकरण शुल्क की दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹3.54 करोड़ के शुल्क की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.8.1)

- अखिल भारतीय/ अखिल जम्मू और कश्मीर मार्ग के यात्री वाहनों के रूट परमिट, जिला रूट परमिट और राष्ट्रीय परमिटों के लंबे समय से अधिकार के गैर-नवीकरण के परिणामस्वरूप ₹11.16 करोड़ के नवीकरण शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.11.1 से 2.3.11.3)

- गुड्स एजेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़, प्रदूषण नियंत्रण जाँच केंद्रों, ड्राइविंग संस्थानों और व्यवसाय प्रमाणपत्रों के लाइसेन्सों का समय पर नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹157.04 लाख की वसूली नहीं/ कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.12 से 2.3.16)

- चयनित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की लेखापरीक्षा की संवीक्षा से, पूर्व-संशोधित दरों पर हाइपोथिकेशन शुल्क प्रभारित करने से 10,239 हाइपोथिकेशन करारों पर ₹1.24 करोड़ का आधिक्य शुल्क तथा 2,479 हाइपोथिकेशन करारों में ₹0.02 करोड़ का अल्प शुल्क प्रभारित करने का पता चला।

(पैराग्राफ: 2.3.17)

अनुपालन लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ओर बढने की तैयारी

जम्मू और कश्मीर, '**वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)'** अधिनियम को लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य था। राज्य कर विभाग ने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त आईटी बुनियादी ढांचा था। मौजूदा करदाताओं के कम नामांकन और डेडिकेटेड हेल्प लाइन की स्थापना में विलंब हुआ। राज्य सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर नियमों/ विनियमों में लगातार बदलाव किए गए, जिससे अधिनियम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पूर्ण आईटी समाधान प्रदान करने में सक्षम नहीं है और इस प्रकार जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 रिटर्न दाखिल करने के संबंध में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। राज्य जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने में बँधा हुआ था। क्योंकि इन मामलों में इसकी भूमिका सीमित थी। विभाग को स्थानांतरित किए हुए डीलरों द्वारा प्राप्त सभी परिवर्ती क्रेडिटों का सत्यापन करने और पूर्व-जीएसटी आँकलनों जैसे विरासती मुद्दों को सुलझाने तथा पूर्व-जीएसटी व्यवस्था से संबंधित बकायों की वसूली शीघ्रता और समयबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ: 2.4)

राजौरी वाणिज्यिक कर सर्कल के निर्धारण प्राधिकारी द्वारा खरीदों को छिपाने और गलत वर्गीकरण का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में ₹6.45 लाख की कम उगाही तथा ₹2.17 लाख के राजस्व की भी हानि हुई।

(पैराग्राफ: 2.5)

निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सर्कल, लेह की क्षतिग्रस्त स्टॉक पर कर वसूलने या डीलर द्वारा प्राप्त किए गए इनपुट कर क्रेडिट को वापस करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹9.45 लाख के कर और ब्याज की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ: 2.6)

वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 के दौरान ईंधन की खरीद पर डीलर द्वारा प्राप्त किए गए अमान्य इनपुट कर क्रेडिट को अस्वीकृत करने में निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सर्कल, उधमपुर-II की विफलता के परिणामस्वरूप ₹8.60 लाख की कम मांग हुई।

(पैराग्राफ: 2.7)

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39(5) के तहत डीलर का आंकलन करते समय छिपाए गए कारोबार का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सर्कल, 'ई' जम्मू की विफलता के परिणामस्वरूप ₹23.04 लाख के कर, ब्याज और जुर्माने का कम उदग्रहण हुआ।।

(पैराग्राफ: 2.8)

डीलर द्वारा 'एफ' प्रपत्रों के प्रति प्राप्त माल के स्टॉक हस्तांतरण का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारी **वाणिज्यिक कर सर्कल, 'एन' जम्मू** की विफलता के परिणामस्वरूप ₹7.28 लाख के कर, ब्याज और जुर्माने की कम उगाही हुई।

(पैराग्राफ: 2.9)

जुलाई 2013 और अक्टूबर 2016 के दौरान, 71 पंजीकृत गिरवी विलेखों में पंजीकरण शुल्क की सही दर को लागू करने में लेह और कारगिल के पंजीकृत प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹34.06 लाख के पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ: 2.10)

सही दरों को लागू करने में पंजीकरण प्राधिकारी (सब-रजिस्ट्रार बिजबिहारा) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.72 लाख के स्टाम्प शुल्क और ₹0.05 लाख के पंजीकरण शुल्क की कम उगाही हुई।

(पैराग्राफ: 2.11)

परित्याग विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की सही दर को लागू करने में पंजीकरण प्राधिकारी (सब-रजिस्ट्रार शोपियां) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.74 लाख के स्टाम्प शुल्क की कम उगाही हुई।

(पैराग्राफ: 2.12)

भाग-ख में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल किया गया है जिसमें 'जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की कार्य प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाईयों और उपकरण की खरीद में कमियों, सीमेंट ग्राइंडिंग-सह-पैकिंग इकाई द्वारा निधियों की हानि/ अवरोधन, अनुत्पादक/ निष्फल/ परिहार्य व्यय और कम क्षमता के उपयोग से संबंधित सात पैराग्राफ सम्मिलित हैं जिसमें ₹3,323.81 करोड़ शामिल हैं। कुछ प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

31 मार्च 2018 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत तीन सांविधिक निगमों और 30 सरकारी कंपनियों (नौ निष्क्रिय

सरकारी कंपनियों सहित) सहित 33 पीएसयू थे। इनमें से, एक पीएसयू अर्थात जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (जुलाई 1998) है। बैंक की कुल प्रदत इक्विटी में से, 59.23 प्रतिशत राज्य सरकार के पास है और शेष 40.77 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेशकों, निवासी व्यक्तियों और अन्य लोगों के पास है। कार्यशील पीएसयू ने 30 सितंबर 2018 तक, अपने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार ₹8,571.68 करोड़ का वार्षिक कारोबार दर्ज किया। यह कारोबार वर्ष 2017-18 के लिए ₹1,40,887 करोड़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 6.08 प्रतिशत के बराबर था। कार्यशील पीएसयू ने अपने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार ₹198.15 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया।

(पैराग्राफ: 3.1.1)

निष्पादन लेखापरीक्षा

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) को एक बैंकिंग कंपनी के व्यवसाय के रूप में स्थापित करने और जारी रखने; उधार लेना या देना; ऋण और अग्रिम के तहत पैसा उधार देना; विनिमय, हुंडियों, प्रॉमिसरी नोट्स, ड्राफ्ट, लेडिंग बिल, ऋणपत्र और अन्य साधनों के बिलों को खरीदने, बेचने, एकत्र करने और सौदा करने के लिए; स्टॉक्स, शेयरों, ऋणपत्र, प्रतिभूतियों और सभी प्रकार के निवेश करने के लिए; विदेशी विनिमय सहित विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने के लिए; और सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से निगमित किया गया था। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए बैंक की एक निष्पादन लेखापरीक्षा में कुछ कमियां सामने आईं। निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ मुख्य अंश निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने निगमित प्रशासन से संबंधित सेबी विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

(पैराग्राफ: 4.5.1* एवं *4.5.2)

- बैंक द्वारा अर्जित लाभ 2013-14 के दौरान ₹1,182.47 करोड़ से घटकर, 2017-18 में ₹202.72 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बढ़ना था जो 31 मार्च 2013 तक ₹643.77 करोड़ से बढ़कर, 31 मार्च 2018 को ₹6,006.70 करोड़ हो गई थी। सकल अग्रिम के एनपीए की प्रतिशतता भी मार्च 2013 के अंत में 1.62 प्रतिशत से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में, 9.96 प्रतिशत हो गई। 2016-17 के दौरान बैंक को ₹1,632.29 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ: 4.6)

- बैंक की ऋण नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली समय रहते एनपीए की पहचान करने में विफल रही।

(पैराग्राफ: 4.6.1 एवं 4.6.2)

- यद्पि 2013-14 से 2017-18 के दौरान, निधि जमा में 24.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, लेकिन पिछले चार वर्षों के दौरान, मार्च 2017 के अंत तक, बैंक के जमा की वार्षिक वृद्धि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समग्र राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी।

(पैराग्राफ: 4.7.2)

- बैंक ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान, अग्रिम में 51.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी, वार्षिक वृद्धि (-)1.78 प्रतिशत और 18.28 प्रतिशत के बीच अस्थिर थी। कुल निवल अग्रिम के लिए असुरक्षित अग्रिम का प्रतिशत, मार्च 2014 के अंत में 20.16 प्रतिशत से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में 27.90 प्रतिशत हो गया था।

(पैराग्राफ: 4.7.3)

- समग्र बैंकिंग क्षेत्र के औसत की तुलना में, उद्योग-वार एक्सपोज़र के लिए बैंक का संकेद्रण जोखिम अधिक था।

(पैराग्राफ: 4.7.4(i))

- पर्याप्त सुरक्षा कवर, उचित क्रेडिट मूल्यांकन, प्रतिबंधों की पूर्व या बाद की स्थितियों का पालन, नियमित निगरानी आदि के माध्यम से बैंक के हित की सुरक्षा के बिना, ऋण सुविधाओं की स्वीकृति/ जारी करने से न केवल एनपीए को बढ़ावा दिया बल्कि ₹197.98 करोड़ की हानि/ गैर-वसूली, ₹1,599.14 करोड़ की संदिग्ध वसूली और नमूना-जांच किए गए मामलों में, ₹14.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ: 4.7.5.2)

- बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में कमियां पाई गई थीं जिसके कारण, यह अपने कुछ कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान, सुनिश्चित नहीं कर सका।

(पैराग्राफ: 4.7.6)

- बैंक की वसूली नीति के विचलन में, एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, नमूना-जांच के मामलों में ₹17.97 करोड़ की मूल राशि को छोड़ना पड़ा।

(पैराग्राफ: 4.7.9.1)

- ₹671.10 करोड़ की मूल राशि और ₹504 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज को छोड़ते हुए, बैंक ने 2014-2018 की अवधि के दौरान, परिसंपत्ति पुन:निर्माण कंपनियों (एआरसी) को दस एनपीए बेचे, आरक्षित मूल्य से नीचे एआरसी को वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री के परिणामस्वरूप, ₹21.89 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ: 4.7.10)

- अविवेकपूर्ण निर्णय लेने, गारंटी को इन्वोक न करने और बैंक के हित की असुरक्षा के कारण, गैर-निष्पादित निवेशों की नमूना-जांच में, ₹180.43 करोड़ की संदिग्ध वसूली/ हानि हुई।

(पैराग्राफ: 4.7.11.2)

- रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव्स और बैंकिंग एसोसिएट्स की भर्ती में अनियमितताएं देखी गईं।

(पैराग्राफ: 4.10.1)

- बैंक ने एक कार्य/ परियोजना पर, 2016-17 और 2017-18 के दौरान, 53.09 प्रतिशत से 83.82 प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बजट व्यय किया था और 2015-16 से 2017-18 के दौरान, एकल खंड के तहत 49.33 प्रतिशत से 95.27 प्रतिशत तक व्यय किया था जो सीएसआर नीति का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, बैंक की सीएसआर नीति और कंपनी अधिनियम 2013 के उल्लंघन में, सीएसआर निधि से ₹46.96 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया था।

(पैराग्राफ: 4.11)

अनुपालन लेखापरीक्षा

दर के संविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी एवं ड्रग्स/ दवाओं, उपकरणों, मशीनरी, उपकरणों की खरीद में देरी/ खरीद न होने का पता चला जिससे जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सृजन का उद्देश्य सार्थक नहीं हुआ। विलम्ब से आपूर्ति में ₹7.92 करोड़ की परिसमापित क्षति की वसूली न करने के मामले, सात बोलीकर्ताओं को अस्वीकृत करते हुए और आठवें बोलीकर्ता से वार्ता के आधार पर ₹25.48 करोड के सीवन मदों को खरीदकर आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ देना, ₹3.18 करोड़ की प्राप्ति के बाद भी तीन वर्षों से अधिक समय से राज्य में '102 एंबुलेंस सेवा' का प्रचालन में न होना, जांच प्रयोगशालाओं को पैनल में लेने के लिए निर्धारित प्रकियाओं का अनुपालन न करने के कारण ₹9.47 लाख के अधिक व्यय के मामले लेखापरीक्षा में सामने आए।

(पैराग्राफ: 5.1)

गुणवत्ता स्वीकार्य नहीं होने के कारण खरीददार द्वारा सेब जूस कंसंट्रेट की अस्वीकृति और बाद में कीमतों में कमी होने के कारण जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड को ₹7.93 लाख का नुकसान होने के अतिरिक्त बिक्री न किए गए स्टॉक के कारण ₹2.03 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध हुई।

(पैराग्राफ: 5.2)

जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा सीमेन्ट पीसने और पैकिंग की सांबा यूनिट की इष्टतम क्षमता का उपयोग करने और निजी पार्टियों/ सरकारी विभागों को उत्पादित सीमेन्ट का विपणन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2015-18 के दौरान ₹1.26 करोड़ का परिचालनात्मक नुकसान।

(पैराग्राफ: 5.3)

पंपोर में **जम्मू एंड कश्मीर** इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आईटीसी) की स्थापना के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप लगभग दस वर्षों के लिए ₹3.94 करोड़ अवरुद्ध हो गए। इसके अलावा, भूमि पर बाड़ लगाने पर ₹1.06 करोड़ का व्यय हुआ और पंजीकरण शुल्क का भुगतान अलाभप्रद रहा और राज्य, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता/ विक्रेता वार्ता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संव्यवहारों के साथ ही विदेशी बाज़ारों के इंटरफ़ेस से मिलने वाली परिकल्पित सुविधा का लाभ नहीं मिल सका।

(पैराग्राफ: 5.4)

बिना किसी सार्थक गतिविधि के नई दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन, परिसर किराए पर लेने और अन्य खर्चों पर ₹47.86 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ: 5.5)

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 के दौरान कर योग्य आय पर अग्रिम कर जमा करने में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की विफलता के परिणामस्वरूप ₹3.26 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ: 5.6)

48 मेगावाट लोअर कलनई हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डिजाइन, इंजीनियरिंग और कमीशनिंग के लिए संविदा के निष्पादन पर शिथिल पर्यवेक्षण और नियंत्रण के कारण

₹25.30 करोड़ का अलाभप्रद व्यय हुआ। कंपनी प्रति वर्ष 219.30 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाई और परियोजना हेतु लिए गए सावधि ऋण पर ₹17.49 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड संविदा के कार्य की प्रगति के साथ पीएमसी को परामर्शी शुल्क का चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने में विफल रही, जिसके कारण ₹6.57 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। ₹79.20 करोड़ की बैंक/ निष्पादन गारंटी के नकदीकरण के बावजूद कंपनी को ₹11.20 करोड़ का न्यूनतम नुकसान हुआ।

(पैराग्राफ: 5.7)